

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड और अन्य

बनाम

डॉ. अमर कुमार और अन्य

2021 का विविध अपीलीकरण संख्या 233

10 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रामेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या मृतक की निजी प्रैक्टिस और उसके सरकारी नौकरी से होने वाली आय के स्रोतों दोनों को दावेदारों को देने वाली मुआवजे की राशि निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए?
- क्या उत्तरदाता संख्या 1, यानी मृतक के पति को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मुआवजे का दावा करने का अधिकार है?

हेडनोट्स

मोटर वाहनों अधिनियम, 1988 - धारा 173 - दावा - ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक की मृत्यु मोटर वाहन दुर्घटना में हुई थी, जो दोषी वाहन के चालक द्वारा लापरवाह और लापरवाही से ड्राइव करने के कारण थी, जो संबंधित समय में बीमा कंपनी के साथ बीमाकृत था; और बीमा कंपनी को मृतक के कानूनी वारिसों को मुआवजे की राशि 6% ब्याज के साथ मुआवजा दर्ज करने की तिथि से देने का निर्देश दिया - सीखे गए ट्रिब्यूनल द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न की गलत गणना का तर्क दायर नहीं किया गया था - दलीलों पर आधारित कोई भी राहत नहीं दी जा सकती - ट्रायल कोर्ट ने भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि की गणना में गलती की।

निर्णीत: जिस प्राधिकरण के हस्ताक्षर के तहत विभाग में वेतन वितरित किए गए, उसने अपनी जांच में कहा है कि सरकारी डॉक्टरों को अपनी निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति है - इसलिए, दोनों को दावेदारों के लिए देय मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने में ध्यान में रखा जाना चाहिए - सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा स्थापित कानून है कि अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान की जिम्मेदारी उस वक्त समाप्त नहीं होती जब संबंधित कानूनी प्रतिनिधि की निर्भरता का अभाव हो - धारा 2(11) सीपीसी के तहत कानूनी प्रतिनिधि वह होता है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होता है और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता-पिता या बच्चा हो - निर्णय और पुरस्कार दावेदारों/प्रतिवादियों को देय मुआवजे की राशि के हद तक संशोधित किया गया है - निर्णय को कायम रखा गया है - अपील संशोधन के साथ निपटाई गई है। (पैराग्राफ 13 से 18)

न्याय दृष्टान्त

सारल वर्मा बनाम डीटीसी, (2009) 6 एससीसी 121; बिनॉय कुमार इंगर बनाम विद्याधर दत्ता, (2006) 3 एससीसी 242—अनुसरण किया गया; भारत संघ बनाम इब्राहीम उद्दीन, (2012) 8 एससीसी 148; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, 2017 एससीसी ऑनलाइन एससी 1270; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बिरेंदर, एआईआर 2020 एससी 434, 2020 (11) एससीसी 356; श्रीमती मंजीरी बेड़ा बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, (2007) 10 एससीसी 643; गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम रमणभाई प्रभात-भाई, (1987) 3 एससीसी 234—भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

मुख्य शब्दों की सूची

मोटर दुर्घटना निपटान न्यायालय, बीमा कंपनी, मुआवजे की राशि, दावा मामला, लंबित लाइट ब्याज, भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए मानक पैरामीटर, मुआवजे की गणना.

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, भागलपुर द्वारा दावा वाद संख्या 135/2011 में पारित दिनांक 11.12.2020 के निर्णय एवं दिनांक 11.12.2020 के अवाई से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए: श्री दुर्गेश कुमार सिंह अधिवक्ता; अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए: श्री मदन मोहन, अधिवक्ता; श्रीमती पल्लवी पांडे, अधिवक्ता; श्री ऋतिक शाह, अधिवक्ता; श्री राहुल राज, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

विविध अपील सं 233 वर्ष 2021

=====

1. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जेनिथ हाउस, केशव राव, खाद्या मार्ग, महा लक्समी, मुंबई-400034।

2. मैनेजर लीगल एल्डेको कॉर्पोरेट चैंबर-1, चौथी मंजिल, बिभूते खंड, गोमत नगर, लखनऊ-226024 के माध्यम से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रबंधक (कानूनी) के माध्यम से अपील और अपीलकर्ता, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी मंजिल, कृष्णा भवन, एक्सिस बैंक के ऊपर, डाकबंगला चौराहा, पटना-1।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. डॉ. अमर कुमार, पिता- स्वर्गीय डॉ. तपेश चंद्र ठाकुर निवासी घर संख्या 80, वार्ड संख्या 24, आर. एन. सूर्य नर. सिंह रोड, खानजेरपुर, थाना- बरारी, जिला-भागलपुर।

2. अंजली सांडिल्य, पुत्री- श्री डॉ. अमर कुमार, निवासी घर संख्या 80, वार्ड संख्या 24, आर. एन. सूर्य नर. सिंह रोड, खानजेरपुर, थाना- बरारी, जिला-भागलपुर।

3. आरोही सांडिल्य, पुत्री- श्री डॉ. अमर कुमार की बेटी, निवासी घर संख्या 80, वार्ड संख्या 24, आर. एन. सूर्य नर. सिंह रोड, खानजेरपुर, थाना- बरारी, जिला-भागलपुर।

4. कृष्ण मोहन साह, पिता- लेफ्टिनेंट डोमन साह, निवासी गांव- मारुफचक, कटघर, थाना- मोजाहिदपुर, जिला - भागलपुर (मालिक)।

5. गोरे लाल यादव, पिता- मंगल प्रसाद यादव, अशोक मोड़ निवासी, थाना- पोरैया हाट, जिला- गोड्डा (चालक)।

..... प्रत्यर्थीगण

=====

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिए	:	श्री मदन मोहन, अधिवक्ता सुश्री पल्लवी पांडे, अधिवक्ता श्री ऋतिक शाह, अधिवक्ता श्री राहुल राज, अधिवक्ता

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय

सीएवी निर्णय

तारीख: 10.04.2025

अपीलार्थी के विद्वान वकीलों के साथ-साथ उत्तरदाताओं के विद्वान वकीलों को भी सुना।

2. यह विविध अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) आई. सी. आई. सी. आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "बीमा कंपनी" के रूप में संदर्भित) की ओर से 2011 के दावा मामले 135 में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, भागलपुर (इसके बाद "विद्वान न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांकित 11.12.2020 निर्णय और दिनांकित 11.12.2020 अवार्ड के खिलाफ दायर की गई है ।

3. विद्वान न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दावेदार (प्रतिवादी सं 1 से 3) मुआवजे के रूप में 95,52,620/- रुपये (पंचानवे लाख बावन हजार छह सौ बीस) प्राप्त करने के हकदार हैं और तदनुसार अपीलार्थी/बीमा कंपनी को आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर दावा मामला दायर करने से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ उक्त मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

4. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 19.05.2011 को, डॉ. प्रीति सिंघानिया (मृतक), पंजीकरण संख्या बी. आर. 10 ई 2746 वाली अपनी मारुति कार से भागलपुर से बांका होते हुए अमरपुर जा रही थी जिसे एक चालक चला रहा था। जब कार राजौन थाना अंतर्गत शेर-ए-बिहार होटल के पास पहुंची, तो ढाका मोर की तरफ (विपरीत तरफ) से आ रही पंजीकरण संख्या बी. आर. 10. पी. 3239 वाली बस को चालक द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा था और उसने मारुति कार को टक्कर मार दी। इससे डॉक्टर के साथ-साथ चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रेफरल अस्पताल, राजौन ले जाया गया, जहाँ जाँच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया, जहाँ कार के चालक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और डॉ. प्रीति सिंघानिया को सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया और 24.05.2011 को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उक्त दुर्घटना की सूचना दी और राजौन थाना कांड सं 2011 का 92 में उल्लंघन करने वाले वाहन यानी बस के चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की और जांच पूरी होने के बाद उक्त अपराधों के तहत बस के चालक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत

किया। डॉ. प्रीति सिंघानिया (मृतक) पेशे से 39 वर्षीय डॉक्टर (स्त्री रोग विशेषज्ञ) थीं और स्थायी नौकरी में थीं। वह बिहार राज्य विभाग में एक विशेषज्ञ सर्जन थीं और अमरपुर में तैनात थीं और उन्हें रु 36, 015/- प्रति माह वेतन मिलता था। उसकी एक निजी प्रैक्टिस भी थी और वह औसतन रु 2,18,376-प्रति वर्ष कमाती थी। वह हर साल आयकर रिटर्न दाखिल करती थी और नियमित रूप से अपना आयकर का भुगतान कर रही थी। डॉ. प्रीति सिंघानिया ने अपने पीछे अपने पति और दो नाबालिग बेटियों को अपने कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में छोड़ दिया।

5. दावेदारों ने एम. ए. सी. टी., भागलपुर के समक्ष 12 प्रतिशत पेंडेंट लाइट ब्याज के साथ भविष्य लागत के रूप में 1,04,30,896/- रुपये के अनुदान अवार्ड के लिए दावा मामला दायर किया। दावा राशि का विवरण नीचे दिया गया हैः.

भविष्य के कैरियर में प्रगति सहित कमाई का नुकसान	रु. 1,04,08,896/-
अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 2000/-
संपत्ति का नुकसान	रु. 10, 000/-
संघ का नुकसान	रु. 10, 000/-

6. मुकदमे के दौरान दावेदारों ने कुल मिलाकर 4 गवाहों से पूछताछ की, अर्थात्।

सीडब्ल्यू-1	डॉ. अमर कुमार (मृतक के पति और दावेदार संख्या 1)
सीडब्ल्यू-2	कौशल कुमार ठाकुर (अपराध करने वाले वाहन के यात्री, जो एक चश्मदीद गवाह हैं)

सी डब्ल्यू-3	पुनीत चौधरी (मृतक का सीए)
सीडब्ल्यू-4	डॉ. फुलेश्वर झा (प्राधिकरण जिसके हस्ताक्षर के तहत विभाग में वेतन वितरित किया गया था)

6.i. दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैं:

प्रदर्श. 1.	निर्धारण वर्ष 2010-21 के लिए आयकर विवरणी
प्रदर्श. 1/1	निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए आयकर विवरणी
प्रदर्श. 1/2	निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए आयकर विवरणी
प्रदर्श. 2.	मृतक का वेतन प्रमाण पत्र।
प्रदर्श. 3.	एफ. आई. आर.
प्रदर्श. 4.	आरोप-पत्र
प्रदर्श. 5.	पीएम रिपोर्ट
प्रदर्श. 6.	बस के पंजीकरण का प्रमाण पत्र
प्रदर्श. 7.	बस की बीमा पॉलिसी।
प्रदर्श. 8.	मृतक का मूल मैट्रिक प्रमाण पत्र।
प्रदर्श. 9.	सी. ओ. द्वारा जारी उत्तराधिकारी-जहाज प्रमाण पत्र
प्रदर्श.10	गोरेलाल यादव के पी/एल की फोटो प्रति

7. न्यायाधिकरण के समक्ष, विपक्ष सं 1 और 2 ने एक गवाह, विपक्षी साक्षी -1 कृष्ण मोहन साह से पूछताछ की, जबकि विपक्ष सं.-3 ने दो गवाहों, विपक्षी साक्षी -1 गोरेलाल यादव और विपक्षी साक्षी -2 रवींद्र चौधरी से पूछताछ की। विपक्ष सं.-3 ने दस्तावेज कला साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जो प्रदर्श-ए/1 लाइसेंस के संबंध में डी. टी. ओ. प्रमाण पत्र, प्रदर्श-ए/2 पुलिस

केस डेयरी की फोटो प्रति और प्रदर्श -ए/3 पुलिस केस डेयरी की फोटो प्रति थी।

8. पक्षकारों की ओर से आगे की गई दलीलों और प्रस्तुतियों के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया:

- i. क्या दावा मामला बनाए रखने योग्य है?
- ii. क्या दावेदार के पास यह मुकदमा दायर करने का कोई कारण है?
- iii. क्या दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई थी, या कार चालक दुर्घटनाओं में योगदान दिया, दोनों अपकृत्य-दोषियों के बीच योगदान का प्रतिशत क्या होगा।
- iv. क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है मालिक या बीमाकर्ता?
- v. क्या दावे की राशि अत्यधिक है यदि हां तो दावेदारों को देय न्यायसंगत मुआवजा क्या होगा?
- vi. क्या दावेदार अन्य राहत प्राप्त करने के हकदार हैं जिसके लिए प्रार्थना की गई थी?

9. पक्षकारों को सुनने और अभिलेख पर सामग्री के आधार पर विद्वान न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक की मृत्यु मोटर वाहन दुर्घटना में उस वाहन के चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी, जिसका बीमा उस समय बीमा कंपनी द्वारा किया गया था और उक्त बीमा कंपनी मृतक के पति और बच्चों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। विद्वान न्यायाधिकरण ने माना है कि दावेदार 95,52,620/- रुपये के मुआवजे के हकदार हैं, साथ ही दाखिल करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देना होगा।

10. अपीलार्थियों/बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के लिए आयकर

विवरणी (आई टी आर) दाखिल की गई थी और प्राप्त करने की तारीख 10.09.2010 है जो मृतक की निजी प्रैक्टिस के वेतन से (प्रदर्श 1) आय को 2,18,608 रुपये प्रति वर्ष दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदर्श.2 वेतन प्रमाण पत्र है जो 09.05.2011 से प्रभावी है और उसी के अवलोकन से वार्षिक आय 4,17,432/- रुपये है और वही कर योग्य होगा। उन्होंने आगे कहा कि वेतन से आय (प्रदर्श .2) कभी अस्तित्व में नहीं आई और एक महीने के लिए भी कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र 09.05.2011 से प्रभावी था और मृतक 19.05.2011 को दुर्घटना का शिकार हो गई थी । उन्होंने प्रस्तुत किया कि मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के आई. टी. आर. को जानबूझकर रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था क्योंकि यह निर्णायक कारक होता लेकिन पिछले वर्ष के आई. टी. आर. (प्रदर्श 1) की तुलना में कम आय के कारण इसे जानबूझकर छुपाया गया है। तीन साल का आई. टी. आर. दाखिल किया जा चुका है लेकिन मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के लिए केवल एक आई. टी. आर. (प्रदर्श.1) को अतिरिक्त के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की गणना के लिए आम तौर पर तीन साल के आईटीआर का औसत लिया जाता है।

10.i. उन्होंने आगे कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण ने मुआवजे की गणना करने में त्रुटि की और मूल्यांकन वर्ष 2010-11 का आई टी आर और प्रदर्श 2 का वेतन (4,17,432/- रुपये + 2,18,076 रुपये = 6,35,508/- रुपये) जोड़ा जबकि मूल्यांकन वर्ष 2010-11 के आईटीआर की गणना में वेतन शामिल था। उन्होंने वह विस्तार प्रस्तुत किया कि प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2, को मुआवजे की गणना के लिए दोनों को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

10.ii. विद्वान वकील ने आगे कहा कि दावेदार सं 1 (डॉ. अमर) पेशे से एक डॉक्टर हैं और कार्यरत हैं और इसलिए उन्हें अपनी पत्नी पर निर्भर नहीं कहा जा सकता है। उनकी दो बेटियों को आश्रित कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें अपने पिता (डॉ. अमर, दावेदार सं 1) पर कम से कम 50 प्रतिशत तक निर्भर कहा जा सकता है, इस प्रकार निर्भरता 50 प्रतिशत होगी न कि दो तिहाई। उन्होंने *सरला वर्मा बनाम डी. टी. सी., (2009) 6 एस. सी. सी. 121* के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया जहां यह अभिनिर्धारित किया कि अविवाहित/बेटे/बेटियाँ उसके पिता पर निर्भर होंगी। विद्वान वकील ने आगे *विजय कुमार दुगर बनाम बिया धर दत्ता, (2006) 3 एस. सी. सी. 242* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जिसमें शीर्ष अदालत ने आमने-सामने की टक्कर के मामलों में अंशदायी लापरवाही के मामले में आय से 50 प्रतिशत की कटौती को बरकरार रखा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जबकि मुआवजे का दावा दोनों में से किसी एक द्वारा किया जा सकता है, लेकिन विभाजन 50-50 के अनुपात में किया जाना आवश्यक होगा। उन्होंने आगे कहा कि बस का अपीलार्थी द्वारा बीमा किया गया था और भारी वाहन होने के कारण 60 प्रतिशत अपीलार्थी का दायित्व होगा और जिस वाहन में पीड़ित यात्रा कर रहा था, उसके संबंध में यह एक छोटा वाहन था क्योंकि ऐसा दायित्व 40 प्रतिशत होगा और चूंकि संबंधित कार को पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है/नहीं किया गया है, इसलिए कुल आय/मुआवजे की राशि का 40 प्रतिशत देय नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह दलील देने के बावजूद कि दुर्घटना में दो वाहन शामिल थे और आमने-सामने की मिलीभगत थी, समग्र लापरवाही या अंशदायी लापरवाही का मुद्दा तैयार नहीं किया गया है जिसे अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना आवश्यक था।

10.iii. वह आगे उस प्रदर्श सी को प्रस्तुत करता है जो साबित करता है कि अगर पीड़ित के चालक ने तुरंत कार्रवाई की होती तो जीवन बचाया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि बस का चालक दुर्घटना के समय लोक सेवा वाहन (पीएसवी) के समर्थन के साथ भारी वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं था और यह कि यह मालिक का मामला नहीं है कि उसने वाहन को बस के चालक को सौंपने से पहले सभी आवश्यक कदम उठाए और इस तरह के दायित्व के रूप में जो भी दायित्व होगा मालिक का होगा। जिला परिवहन अधिकारी (डी. टी. ओ.) के साक्ष्य के आलोक में, दायित्व जो भी हो, वह मालिक का होता न कि अपीलार्थी का, लेकिन भुगतान और वसूली जारी करने की अनुमति विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. टी. ओ. की जांच की गई है और इस तरह अपीलार्थी ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि चालक को विधिवत लाइसेंस नहीं दिया गया था।

10.iv. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अंत में प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा कि निजी प्रैक्टिस से आय का दावा सरकारी डॉक्टर होने के नाते टिकाऊ नहीं होगा और मृतक निजी प्रैक्टिस का हकदार नहीं था।

11. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे के संबंध में कि क्या एक पति जो कमा रहा है उसे 'आश्रित' माना जा सकता है, *राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बीरेंद्र, एआईआर 2020 एससी 434, 2020 (11) एस. सी. सी. 356* के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें एक

बड़ा बेटा जो अच्छी कमाई कर रहा था और अपने परिवार पर निर्भर नहीं था, उसे भी कानूनी प्रतिनिधि माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

11. सी. पी. सी. की धारा 2 (11) के अनुसार, "कानूनी प्रतिनिधि" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति से है जो कानूनी रूप से एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है और जहां कोई पक्ष प्रतिनिधि के चरित्र में उस व्यक्ति पर मुकदमा करता है या जारी करता है, वहाँ मुकदमा लाने वाले जिस पर पक्ष की मृत्यु के बाद संपत्ति हस्तांतरित होती है।

लगभग समान शब्दों में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत, कानूनी प्रतिनिधि की परिभाषा यही है यानी धारा 2 (1) (जी) के तहत ।

15. इस प्रकार अब तक यह तय हो गया है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है। यह कहने के बाद, यह आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए कि मृतक के बड़े विवाहित और कमाने वाले बेटे भी कानूनी प्रतिनिधि हैं, उन्हें भी मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है और यह न्यायाधिकरण का बाध्य कर्तव्य होगा कि वह इस तथ्य के बावजूद आवेदन पर विचार करे कि क्या संबंधित कानूनी प्रतिनिधि पूरी तरह से मृतक पर निर्भर था और केवल पारंपरिक शीर्षों के लिए दावे को सीमित नहीं करना था।"

11.i विद्वान वकील ने आगे श्रीमती **मंजुरी बेरा बनाम द**

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (2007) 10 एस. सी. सी. 643 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व संबंधित कानूनी प्रतिनिधि की निर्भरता के अभाव के कारण समाप्त नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया है कि अधिनियम

में "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। मंजूरी बेरा में माननीय न्यायालय ने कहा:

“9. मृत्यु के मामले में अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के संदर्भ में, मृतक के सभी या कोई भी कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के हकदार हो जाते हैं और ऐसा कोई भी कानूनी प्रतिनिधि दावा याचिका दायर कर सकता है। उक्त उप-धारा के परंतुक में यह स्थिति स्पष्ट की गई है कि जहां सभी कानूनी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, वहां उन कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल करके मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से आवेदन किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय को अपने विचार में उचित ठहराया गया कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 166 के संदर्भ में एक दावा याचिका बनाए रख सकता है।

10. न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह एक निर्णय दे, मुआवजे की राशि निर्धारित करे जो न्यायसंगत और उचित हो और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करे जिसे ऐसा मुआवजा दिया जाएगा। बाद वाला भाग उस व्यक्ति द्वारा मुआवजे की पात्रता से संबंधित है जो इसके लिए दावा करता है।

12. जैसा कि इस न्यायालय ने बी. ए. एन. सी. ओ. राष्ट्रीय अल्ट्रामेरिनो की अभिरक्षक की शाखाएँ बनाम नलिनी बाई नाइक [1989 सप्प (2) एस. सी. सी. 275] में कहा है की धारा 2 (11) सी. पी. सी. में निहित परिभाषा चरित्र में समावेशी है और इसका दायरा व्यापक है, यह केवल कानूनी उत्तराधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय यह निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति जो मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के लिए सक्षम कानूनी उत्तराधिकारी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वह मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसमें उत्तराधिकारी के साथ-साथ वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो मृतक की संपत्ति के कब्जे में निष्पादक या प्रशासकों के रूप में स्वामित्व के बिना भी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों को "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति द्वारा सम्मिलित किया जाएगा।

11.ii. विद्वान वकील ने आगे *गुजरात एस. आर. टी. सी. बनाम रमनभाई प्रभात-हाई, (1987) 3 एस. सी. सी. 234* पर भरोसा किया जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

“कि एक कानूनी प्रतिनिधि वह है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित है और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता-पिता और बच्चा हो।”

11.iii. विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रदर्श 1 के अवलोकन से जो कि आई. टी. आर. है, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विवरणी 10.09.2010 पर दाखिल की गई थी, जिसमें उक्त विवरणी के अंतिम लेकिन एक पृष्ठ पर इसका उल्लेख मुख्य व्यवसाय और व्यवसाय (निजी अभ्यास) के तहत आय के रूप में अंकित किया गया है - $\geq$ 2,18,376 रुपये और प्रदर्श 2 (सी. डब्ल्यू.-4 द्वारा उचित रूप से प्रमाणित वेतन प्रमाण पत्र) यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि मृतक को दिया जाने वाला वेतन 09.05.2011 से रु. 34,786/- रुपये था तो डॉ. प्रीति सिंघानिया (मृतक) को दुर्घटना के समय यानी 19.05.2011 को 34, 786/- रुपये का वेतन मिल रहा था। इस प्रकार, विद्वान न्यायाधिकरण ने आयकर विवरणी (प्रदर्श 1) और वेतन प्रमाण पत्र (प्रदर्श 2) के आधार पर मुआवजे की राशि की सही गणना की।

11.iv. तीसरे मुद्दे के संबंध में यानी कि क्या उल्लंघन करने वाले वाहन और उस मारुति कार की टक्कर हुई थी जिसमें मृतक यात्रा कर रहा था और इस प्रकार उक्त मामला समग्र लापरवाही का है, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जांच पूरी होने के बाद, पुलिस बस के

चालक के खिलाफ अपना आरोप पत्र प्रस्तुत किया और पुलिस को कार चालक का कोई अपराध नहीं मिला। इसके अलावा, सी. डब्ल्यू.-2 कौशल कुमार ठाकुर, जो बस में यात्री थे और उक्त दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, ने घटना के तरीके के बारे में गवाही दी है, और कहा है कि बस चालक लापरवाही से बस चला रहा था और जब बस कटोरिया पुल को पार कर गई, तो बस को सड़क पर खाई में जाने से बचाने के लिए, बस के चालक ने डिवाइडर को पार किया और मारुति कार से टकरा गया। अतः, यह स्पष्ट है कि दुर्घटना बस चालक की जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी और इस प्रकार विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर साक्ष्य को देखने के बाद मुद्दा संख्या 3 का सही निर्णय लिया।

12. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, पक्षों द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना की घटना के बारे में कोई विवाद नहीं है जिसमें मृतक ने अपनी जान गंवा दी और दावेदारों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी का दायित्व है। उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच पूरी होने पर उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है जो दावेदार के गवाहों द्वारा भी साबित किया गया था।

13. अपील के ज्ञापन और के अवलोकन के बाद दोनों पक्षों और अभिलेख पर भौतिक साक्ष्यों की सुनवाई करते हुए, निर्धारण का मुख्य बिंदु है:

i . दावेदारों को देय मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने में मृतक की निजी प्रैक्टिस और उसकी सरकारी नौकरी दोनों से आय के स्रोतों पर विचार किया जाना चाहिए।

ii. क्या प्रतिवादी संख्या 1, अर्थात् मृतक का पति मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मुआवजे का दावा करने का हकदार है?

13.i. पहले मुद्दे के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक दावेदार ने आईटीआर दाखिल नहीं किया, तब तक वह निजी नौकरी में थी। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक द्वारा दायर आई. टी. आर. की गणना में उसकी निजी नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों के वेतन को ध्यान में रखते हुए गलती की, जो टिकाऊ नहीं है। मृतक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए आईटीआर दाखिल किया और मूल्यांकन वर्ष 2011-12 में, उन्हें बिहार राज्य विभाग में विशेषज्ञ सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया और अमरपुर में भी तैनात किया गया। इससे पहले कि वह वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आईटीआर दाखिल कर पाती, सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दावेदार-प्रतिवादियों ने कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए प्रदर्श 1 यानि आयकर विवरणी आवेदन दायर किया था। उक्त प्रदर्श 1 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त विवरणी 10 सितंबर 2010 को दाखिल की गई थी जिसमें उक्त विवरणी के अंतिम लेकिन एक पृष्ठ पर इसका उल्लेख के तहत आय के रूप में किया गया है। मुख्य व्यवसाय और पेशा (निजी प्रैक्टिस)- > रुपये 2,18,376 और प्रदर्श 2 (सी. डब्ल्यू.-4 द्वारा प्रमाणित वेतन प्रमाण पत्र) यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि 09.05.2011 से मृतक को दिया जाने वाला वेतन अपने सरकारी पेशे से 34, 786/- रुपये था, इसलिए डॉ. प्रीति सिंघानिया (मृत) को दुर्घटना के समय अर्थात् 19.05.2011

को 34786/- रुपये था। इस प्रकार विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा आई. टी. आर. की गणना कानून में सही है।

13.ii. अंत में अपीलार्थी के इस निवेदन के संबंध में कि मृतक की निजी प्रैक्टिस से आय का दावा सरकारी डॉक्टर होने के नाते टिकाऊ नहीं होगा और मृतक निजी प्रैक्टिस का हकदार नहीं था, यह देखा गया है कि सी. डब्ल्यू.-4, जो प्राधिकरण है जिसके हस्ताक्षर के तहत विभाग में वेतन वितरित किया गया था, ने अपनी जांच के पैरा-4 में कहा है कि सरकारी डॉक्टरों को भी अपनी निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति है। इस प्रकार, अपीलार्थी का प्रस्तुत करना कानून की नजर में कायम नहीं रहता है।

14. यह आगे देखा गया है कि अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील के ज्ञापन में विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा आई. टी. आर. की गलत गणना के संबंध में कोई कथन या अभिवचन नहीं है, लेकिन फिर भी अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों में इस मुद्दे को उठाया है। अपीलार्थी ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि सरकारी अस्पताल द्वारा मृतक के लिए जारी वेतन प्रमाण पत्र जाली है या कि मृतक सरकारी सेवा में काम नहीं करता था या जो आईटीआर प्रस्तुत किया गया है वह वास्तविक नहीं है। **भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन (2012) 8 एस. सी. सी. 148** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, के निर्णय का उल्लेख करना उचित है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभिवचनों पर आधारित नहीं होने पर कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

77. किसी मामले का निर्णय पक्षों की दलीलों के बाहर के आधारों पर आधारित नहीं हो सकता है। उस संबंध में

अभिवचनों के अभाव में कोई सबूत रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं है। किसी भी पक्ष को अपनी दलील से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और पक्ष द्वारा उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में सभी आवश्यक और भौतिक तथ्यों का अनुरोध किया जाना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां साक्ष्य अभिवचनों के अनुरूप नहीं है, वहां उक्त साक्ष्य पर गौर नहीं किया जा सकता है या उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

85.6. अदालत अभिवचनों से आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि कोई भी पक्ष उस मुद्दे/बिंदु पर साक्ष्य का नेतृत्व नहीं कर सकता है जो अभिवचनों में नहीं उठाया गया है और यदि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है या अदालत द्वारा तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया गया है, तो इसे केवल नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

15. दूसरे मुद्दे के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की स्थिति स्थापित की गई है कि संबंधित कानूनी प्रतिनिधि की निर्भरता के अभाव के कारण अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने की देयता समाप्त नहीं होती है। यह स्थापित किया गया कि धारा 2 (11) सी. पी. सी. के तहत एक कानूनी प्रतिनिधि वह है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित है और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता-पिता और बच्चा हो।

16. विवादित आदेश के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक की दोनों नौकरियों के संबंध में भविष्य की प्रगति की गणना 50 प्रतिशत की। **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, 2017 एससीसी ऑन लाइन एस. सी. 1270** के मामले में सर्वोच्च

न्यायालय ने भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए मानक मानदंड निर्धारित किए। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

59.3.आय का निर्धारण करते समय, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है तो यह वृद्धि 30 प्रतिशत होनी चाहिए। यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, तो वृद्धि 15 प्रतिशत होनी चाहिए। वास्तविक वेतन को वास्तविक वेतन से कर रहित कर के पढ़ा जाना चाहिए।

59.4.यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त वारंट होना चाहिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी।

17. इस प्रकार, उपरोक्त पूर्ववर्ती के आलोक में मैं दावेदारों के लिए मुआवजे की सही गणना तत्काल मामला में इस प्रकार रहा होगा:

वेतन प्रमाण पत्र से आय (प्रदर्श 2)	रु. 34, 786/माह इस प्रकार वार्षिक आय = रु। 34, 786 x 12 = रु 4,17,432
निजी व्यवसाय से वार्षिक आय	रु. 2,18,076
चूंकि मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी,	2,18,076 रुपये का 40 % + 4,17,432 रुपये का 50 प्रतिशत = 3,05,306- / रुपये
भविष्य की संभावनाओं की गणना इस प्रकार होगी -	रु. 3,05,306 + रु. 2,18,076 + रु 4,17,432 = रु 9,31,454 /-

17. निचली अदालत ने भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि की गणना में त्रुटि की। प्रणय सेठी (ऊपर) और सरला वर्मा (ऊपर) में निर्धारित अनुपात के बाद जहां

आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 और 3 के बीच है, मृतक के व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए कटौती 1/3 होनी चाहिए। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए मृतक की आय में से एक तिहाई की कटौती उचित है और इस संबंध में कोई गलती नहीं पाई गई है। इसके अलावा चूंकि मृत्यु के समय मृतक की आयु 39 वर्ष थी, इसलिए कुल मुआवजे की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला गुणक 15 होगा। इस प्रकार, कुल मुआवजे की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती	रु. 9,31,545 का 1/3 = रु 3,10,484
परिवार के लिए योगदान।	9,31,545 रुपये - 3,10,484 रुपये = 6, 20, 970/- रुपये
दावेदारों को देय कुल मुआवजा	चूंकि 39 वर्ष की आयु के लिए गुणक 15 रुपये है, 6 रुपये, 20,970 x 15 = रु। 93,14,550-।

18. 2011 के दावा मामला 135 में दिनांक 11.12.2020 के निर्णय और अवार्ड दावेदारों/उत्तरदाताओं को देय मुआवजे की राशि की सीमा तक संशोधित किया जाता है। तैयार किए गए मुद्दों के संबंध में न्यायाधिकरण के निष्कर्ष सही हैं और इस प्रकार निर्णय को बरकरार रखा जाता है। दावेदार 93,14,550/- रुपये की राशि के मुआवजे के हकदार हैं न की Rs.95,52,620/-। तदनुसार, इस अपील को विवादित निर्णय और अधिनिर्णय में उपरोक्त संशोधन के साथ निपटाया जाता है और तदनुसार निर्धारण के बिंदु को निपटाया जाता है।

19. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

20. बीमा कंपनी को आज से दो महीने के भीतर उपरोक्त आदेश के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायामूर्ति)

मयंक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।